न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 93/2019

अशोक कुमार पुत्र सोनीराम जाति ब्राहमण निवासी तेलीपाडा कस्बा बयाना जिला भरतपुर। .....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर .....असल रेस्पोडेन्ट

2. श्रीमती रश्मि पत्नी नरेन्द्र कुमार
3. श्रीमती मिथलेश पत्नी अशोक कुमार
4. नरेन्द्र कुमार } पुत्रान सोनीराम
5. नन्दकिशोर }

जाति ब्राहमण निवासी तेलीपाडा कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी घाटरी बनाम भागीरथ स्टोन क्रेशर मि0न0 15/2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम घाटरी की आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 34 वीघा 5 विस्वा में से 11 वीघा ग्राम घाटरी पर पक्का माल डालकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि में उपयोग करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि सहखातेदार सरस्वती का निधन हो गया है, इसलिये तरतीवी रैस्पो0 संख्या 4 व 5 को भी पक्षकार बनाया गया है। तरतीवी रैस्पो0 अपीलान्ट के परिवार के सदस्य है व विवादित भूमि के सहखातेदार है तथा अपील में आवश्यक पक्षकार है। अपील करने के समय उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे तरतीवी रैस्पो0 बनाया गया है। अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पो0 के हित समान है। विवादित भूमि के अपीलान्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भागीरथ स्ओन क्रेशर पंकज कुमार एवं नगेन्द्र कुमार का अपीलान्ट के खसरा नम्बर 108 रकवा 34 वीघा 02 विस्वा से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनका कोई कच्चा पक्का माल उक्त भूमि में पडा हुआ है। उक्त फर्म के खिलाफ धारा 90 ए की कार्यवाही अपीलान्ट की भूमि पर किया जाना अवैधानिक है व काविल खारिजी के है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित भूखण्ड में से रकवा 11 वीघा के क्षेत्र में अपीलान्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 का माल पडा हुआ है जिसे उन्होने लघु उद्योग सीमेन्ट की ईंट बनाने हेतु इकठ्ठा किया है। राजकीय विज्ञप्ति के अनुसार कृषक द्वारा कृषि भूमि में एक हैक्टे0 भूमि तक लघु उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि संपरिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं व वह कृषि भूमि में लघु उद्योग स्थापित कर सकता है। उक्त भूमि बाबत अपीलान्ट के विरूद्ध कोई कार्यवाही धारा 90 ए के तहत पोषणीय नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और न ही उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में माल को जप्त करने व नीलाम करने तथा बेदखल करने के आदेश देने में कानूनी भूल की है। उक्त कार्यवाही करने से पूर्व माल को हटाने का आदेश देना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर जांच नहीं की है और न पटवारी हल्का के बयान ही लिये है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश का पता दिनांक 06.11.2019 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पटवारी हल्का के द्वारा बताने पर हुआ है। अपीलान्ट ने दिनांक 05.12.2019 को तहसील में जाकर उक्त आदेश की जानकारी की तथा उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र देकर नकल दिनांक 08.11.2019 को प्राप्त की गई। असल जानकारी दिनांक 08.11.2019 से अपील अन्दर म्याद है। फिर भी म्याद को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम अपील के साथ पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा भागीरथ स्टोन क्रेशर के आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 34 वीघा 05 विस्वा में से 11 वीघा पर बेदखल किये जाने एवं उक्त रकवे पर पडे हुये पक्के माल को कब्जेराज करने के आदेश दिये गये है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 को अपीलान्ट के विरूद्ध अवैधानिक बताते हुये कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 108 का अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। मुताविक जमाबन्दी संवत 2072–2075 में आराजी खसरा नम्बर 108 रकवा 34.05 ग्राम घाटरी पर रश्मि पत्नी नरेन्द्र कुमार, सरस्वती देवी पत्नी अशोक कुमार हिबरा 560/685 अशोक कुमार पुत्र सोनीराम 125/685 कौम ब्रा. सा तलीपाडा सा बयाना खातेदार हि अशोक कुमार रश्मि मिथलेश रहन पीएनबी भुसावर इन 1342 1343 रहन दर्ज हे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

तहत न्यायालय द्वारा भागीरथ स्टोन क्रेशर को ही नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है जबकि अन्य खातेदार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत पक्षकारों को नहीं सुना है और न ही पटवारी हल्का के बयान आदि लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये एवं विधिवत जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे पक्षकारो को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)